राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 8(2) राज/वाद/12 जयपुर, दिनांक 30-1-2025

:: आदेश ::

नवसृजित विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, चूरू, अपर जिला न्यायाधीश, सांगोद, उनियारा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी एवं चौहटन में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के विशिष्ठ लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014–00–114–01–00–01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

क0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैण्ड/ग्रेड पे
1	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, चूरू (अधिवक्ता संवर्ग)	01	24,200/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग)	05	रू 21,200/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
3	शीघ्र लिपिक	01	9300–34800, ग्रेड पे– 3600/– (एल–10)
4	कनिष्ठ सहायक	06	5200–20200, ग्रेड पे– 2400/– (एल–5)
5	होमगार्ड	06	–

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :–

क0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	विशिष्ठ लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, चूरू	01	शीघ्र लिपिक	01	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सांगोद जिला कोटा	01	–	–	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, उनियारा जिला टोंक	01	–	–	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
4	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़	01	–	–	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
5	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ़	01	–	–	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01
6	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, चौहटन जिला बालोतरा	01	–	–	कनिष्ठ सहायक	01	होमगार्ड	01

लगातार/–

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014–00–114–01–00–05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावें:–

क0सं0	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	12 (विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक के प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	10000/–	1,20,000/–
2	कुर्सी	48 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 08)	4000/–	1,92,000/–
3	आलमारी	12 (प्रत्येक कार्यालय हेतु 02)	15,000/–	1,80,000/–
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु लगभग 10000/–रू0	10,000/– प्रति कार्यालय	60,000/–
			योग	**5,52,000/–**

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 102500026 दिनांक 28.01.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

Sd/
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, गृह(विधि)।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चूरू/कोटा/चित्तौगढ़/टोंक/प्रतापगढ़/बालोतरा।
6. विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो सं0 2 चूरू एवं अपर जिला न्यायाधीश, सांगोद जिला कोटा/उनियारा जिला टोंक/छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़/बड़ी सादड़ी जिला चित्तौडगढ़/चौहटन जिला बालोतरा।
7. जिला कलक्टर, चूरू/कोटा/चित्तौगढ़/टोंक/प्रतापगढ़/बालोतरा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम वर्ष 2024–25 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रकियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध करायें।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, चूरू, कोटा, चित्तौगढ़, टोंक, प्रतापगढ़, बालोतरा।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

30/01/2025

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि